UPMB180012962026

न्यायालय सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुलपहाड़, महोबा।

पीठासीन अधिकारी– (SHISHIR YADAV), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP04601

दा०प्र०वाद सं०--39/2026

किशोरीलाल बनाम अन्तू रैकवार।

धारा-173(4)बी०एन०एस०एस०

थाना- कुलपहाड़, जिला- महोबा।

दिनांक-10-07-2026

1. प्रार्थी किशोरीलाल ने विपक्षी अन्तू रैकवार आदि के विरूद्ध धारा-173(4) बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना कराये जाने हेतु संस्थित किया था। प्रार्थना पत्र शपथपत्र समर्थित है।

2. संक्षेप में प्रार्थी का कथन इस प्रकार है कि घटना दिनांक 20-05-2026 को प्रार्थी अपने घर पर था तभी रात्रि करीब 11.00 बजे गाँव के अन्तू रैक्वार पुत्र छक्कीलाल अमरचन्द्र पुत्र अन्तू रैक्वार मेरे घर पर आये और उक्त दोनों लोगों द्वारा प्रार्थी से शराब पीने के लिये रूपये मांगे प्रार्थी ने मना किया और कहा कि रात्रि ज्यादा हो गयी है, तुम लोग अपने घर जाओ तो उक्त दोनों लोग गाली गलौज करते हुये चले गये और कुछ देर बाद पुनः शराब पीकर एक राय होकर अपने-अपने हाथों में कुल्हाड़ी व डण्डा लेकर आये और गन्दी-गन्दी गालियां देते हुये गाली गलौज करने लगे तो प्रार्थी व प्रार्थी के पिता दम्मू घर से बाहर निकले तो उक्त लोगों ने जान से मारने की नियत से अमरचन्द्र ने प्रार्थी के ऊपर कुल्हाड़ी से सिर पर वार किया तो प्रार्थी व प्रार्थी के पिता घर के अन्दर भागे तो उक्त विपक्षी भी घर के अन्दर आ गये प्रार्थी के सिर पर फिर से कुल्हाड़ी का वार किया जो प्रार्थी के सिर में लगी जिससे प्रार्थी का सिर फट गया तथा दूसरा बार प्रार्थी के कन्धे पर किया जिससे प्रार्थी के कन्धे में घाव हो गया और खून बहने लगा और अन्तू रैक्वार ने प्रार्थी के पिता के ऊपर डण्डे से हाथ व पीठ पर वार किया जिससे प्रार्थी के पिता के हाथ में सूजन आ गयी और अन्य जगह कई गम्भीर चोटें आयी । घटना के सम्बन्ध में दिनांक 21-05-2026 को एक प्रार्थना पत्र थाना महोबकण्ठ में दिया लेकिन वहां पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी। तब प्रार्थी ने दिनांक 05.06.2026 को जरिये डाक रजिस्टर्ड पुलिस अधीक्षक, महोबा के यहां शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

3. प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा

दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में दो किता मेडिकल प्रपत्र की छायाप्रति, एक किता प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोबा को भेजे गये शिकायती प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, एक किता प्रार्थना पत्र श्रीमान प्रभारी निरीक्षक, थाना-महोबकण्ठ, जिल- महोबा को भेजे गये शिकायती प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, दो किता रजिस्ट्री रसीदें, दो किता टैकिंग रिपोर्ट की छायाप्रित एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गई है।

4. न्यायालय द्वारा संबंधित थाने से आख्या आहूत की गई। थाने की आख्या में कथन किया गया है कि आवेदक और विपक्षीगणों ने दिनांक 20-05-2026 को घर पर शराब पार्टी के दौरान दोनों में शराब पीकर वाद विवाद हुआ आवेदक के घर पर जाकर वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु आवेदक को थाने पर बुलाया गया। आवेदक थाने पर न आकर मात्र पत्राचार करता रहा है। आवेदक के घर पर जाकर कार्यवाही हेतु थाने पर बुलाया परन्तु आवेदक घर से भाग गया और थाना-हाजा पर नहीं आया। विपक्षीगणों के विरूद्ध दिनांक 31-05-2026 को धारा-170, 135, 126 BNSS के तहत मु०सि०सि० नं०-242/26, 242A/26 की कार्यवाही की गयी।

5. सुना व प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिव्यवस्था **ओमप्रकाश अम्बाडकर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025 INSC 139 में पैरा 31** यह अवधारित है कि-

31. *A comparison of Section 175(3) of the BNSS with Section 156(3) of the Cr.P.C. indicates three prominent changes that have been introduced by the enactment of BNSS as follows:*

a. First, the requirement of making an application to the Superintendent of Police upon refusal by the officer in charge of a police station to lodge the FIR has been made mandatory, and the applicant making an application under Section 175(3) is required to furnish a copy of the application made to the Superintendent of Police under Section 173(4), supported by an affidavit, while making the application to the Magistrate under Section 175(3).

b. Secondly, the Magistrate has been empowered to conduct such enquiry as he deems necessary before making an order directing registration of FIR.

c. Thirdly, the Magistrate is required to consider the submissions of the officer in charge of the police station as regards the refusal to register an FIR before issuing any directions under Section 175(3).

6- माननीय उच्च न्यायालय की विधिव्यवस्था व धारा-175(3) बी०एन०एस० के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि धारा-175(4) बी०एन०एस० के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण आवश्यक जांच व पुलिस द्वारा दी गयी आख्या को विचार में लेके करना होगा।

7. अवलोकन उपरान्त ग्यात होता है कि पत्रावली में दाखिल दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी व विपक्षी के मध्य शराब पीकर आपस में विवाद था एवं संबंधित थाने से प्राप्त आख्या में कथन किया गया है कि प्रार्थी ने विपक्षी दोनों साथ में शराब पीकर आपस में विवाद हुआ है।

8. प्रार्थना-पत्र में आवेदक द्वारा किये गये कथनों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को घटना के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी है। प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई कथन वर्णित नहीं किया गया है जिससे कि कोई ऐसा साक्ष्य संकलित किया जाना हो, जो कि विवेचना कराये जाने के बाद ही संकलित किया जा सकता हो। प्रार्थना पत्र के समर्थन में संलग्न चिकित्सीय प्रपत्रों में भी साधारण प्रकृति की चोटें आना अंकित किया गया है। आवेदक अपने कथनों के संबंध में समस्त साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त संबंध में यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिव्यवस्था ओमप्रकाश अम्बाडकर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025 INSC 139 में पैरा 25 यह अवधारित है कि-**

> ***25.*** *The Magistrate is not expected to mechanically direct investigation by the police without first examining whether in the facts and circumstances of the case, investigation by the State machinery is actually required or not. If the allegations made in the complaint are simple, where the Court can straightaway proceed to conduct the trial, the Magistrate is expected to record evidence and proceed further in the matter, instead of passing the buck to the Police under Section 156(3) of the Cr.P.C. Ofcourse, if the allegations made in the complaint require complex and complicated investigation which cannot be undertaken without active assistance and expertise of the State machinery, it would only be appropriate for the Magistrate to direct investigation by the police authorities. The Magistrate is, therefore, not supposed to act merely as a Post Office and needs to adopt a judicial approach while considering an application seeking investigation by the Police.*

9. उपर्युक्त तथ्यों एवं विधि व्यवस्था के प्रकाश में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उक्त मामले के तथ्यों से प्रार्थी पूर्ण रूप से अवगत है एवं अपना वाद से संबंधित साक्ष्य स्वयं साबित करने में सक्षम है। अतः पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

10. अतः समस्त तथ्यों परिस्थितियों एवं विधिव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। न्यायालय अहलमद को आदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत प्रकीर्ण नम्बर को खारिज कर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करें।

पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा-223 बी०एन०एस०एस० हेतु दिनांक-17-07-2026 को पेश हो।

(शिशिर यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कुलपहाड़ महोबा।
जे०ओ०कोड० UP04601